अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मनजोतपाल सिंह बनाम जसमीत कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 228/2024

निर्णय दिनांक :-28.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी मनजोतपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह को राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 101/99 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.809 हैक्टेयर भूमि में से सुरेन्द्र कौर पत्नी अमरजीत सिंह के नाम दर्ज 1.638 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 28.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/2025/195
दिनांक: 28.03.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर